



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel. 0177-2658285,
फैक्स/Fax: 0177-2657517



दिनांक. .01.2024

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय: Diversion of 3.6693 ha of forest land in favour of M/s CLIFF FINVEST PVT. LTD. for the construction of 5 MW Thaltukhod -II HEP, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

सन्दर्भ: Online proposal no:- FP/HP/HYD/43637/2019 reply received on 06.07.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 3.6693 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2023 के अनुपालन में भेजा गया स्पष्टिकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अतः प्रस्ताव के से सम्बंधित जानकारी भेजने का कष्ट करे: --

1. In reference to the observation-2 (i), Reply Not Accepted, State Govt. may provide the complete list/details of approved/existing/proposed project in the Nallah/River/Tributary. Same shall be duly authenticated by competent authority.
2. In reference to the observation-2 (vii), Reply Not Accepted, NPV bill has been rectified however, vegetation density in Part-II, Sr. No-(i) has not been rectified. State Govt may rectify the same.
3. In reference to the observation-2 (x), Reply Not Accepted, comments of the DFO concerned has not been submitted. Since the DSS analysis of CA area shows that proposed CA area is having agricultural fields. Therefore same may be reviewed and comments of DFO concerned in this regard may be provided. If required, proposed CA area may be revised.

यह चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 90 दिनों के भीतर (as per guideline para 1.20) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,
ह 0/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- I/63189/2024
1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टार्लैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
 2. वन मण्डल अधिकारी, जोगिन्दर नगर वन मण्डल, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivjog-hp@hp.gov.in).
 3. क्लिफ फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, आई-41, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, फ़रीदाबाद, हरियाणा- 121003 (E-mail: cliffhydro207@gmail.com)